जिला योजना

संख्या–3134/बयालिस–2010–16–निर्माण/2009

प्रेषक,

श्याम सिंह यादव
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03/2 जनवरी, 2010

विषयः–जनपद–लखीमपुर खीरी में तरणताल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी 109/नि0 लखीमपुर/2008–09 दिनांक 27 मई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनपद–लखीमपुर खीरी में तरणताल के निर्माण हेतु रू0 2,25,00000/–(रू0 दो करोड़ , पच्चीस लाख, मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय एवं रू0 98,00000/– (रू0 अट्ठानबे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :–

I–उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 98,00000/– (रू0 अट्ठानबे लाख मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरशन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009–10 में उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।अतः राज्य योजना आयोग के परिव्यय आवंटन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14–7–2009 के अनुसार जनपद खीरी हेतु आवंटित परिव्यय के सापेक्ष उभरकर आने वाले अतिरिक्त परिव्यय को समायोजन उक्त शासनादेश के आलोक में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

II–यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

III– प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 2 मार्च, 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

IV– कार्यो को पूर्णगुणवत्ता/ मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा , तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। कार्यान्वयन के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा ।

V–स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । तथा इस हेतु अगले वर्ष जिला योजना में परिव्यय रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

VI– परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक

10 जुलाई, 2002 में दिए गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V।। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त ही [illegible] प्रारम्भ कराया जायेगा । प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चि किया जायेगा।

2–उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत–03 खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–15– जनपद लखीमपरु खीरी में तरणताल का निर्माण –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3–उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–ई–5–64 / दस–2010 दिनांक :19 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्याम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–3134(1)/बयालिस–2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, /कीड़ाधिकारी लखीपुर खीरी ।
5–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरशन लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8–नियोजन अनुभाग–4
9–मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0शासन।
10–निजी सचिव मा0 मंत्री जी/ सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 शासन।
11–क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी, लखनऊ मण्डल।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

Malamal-2009-10